न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस

रा.प्रा.पत्र संख्या 50 / 2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1— चमनाराम पुत्र लखमाजी 2— पंकुदेवी पुत्री लखमाजी 3— ढेली देवी पुत्री लखमाजी 4— शान्तिदेवी पुत्री लखमाजी 5— भूरीदेवी पत्नि लखमाजी सभी आयु व्यस्क जाति राजगर ब्राहाण निवासी आमलारी तहसील व जिला सिरोही		1— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही 2— उकाराम पुत्र पीथाजी जाति राजगर ब्राहाण आयु व्यस्क निवासी आमलारी तहसील व जिला सिरोही

उपस्थित :—
1—प्रार्थी की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा
2—अप्रार्थी स्टेट तह.सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश   दिनांक 17—2—2020

प्रार्थी ने जरिये वकील ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दि 29—7—2019 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के सहखातेदारान के साथ संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि मय कुंआ मौजा आमलारी पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा तहसील व जिला सिरोही मे आई हुई है। जिसकी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के अनुसार खाता संख्या नया 406 पुराना 395 खसरा नंबर 881 से 889 व खसरा नंबर 899 से 905 तथा खसरा नंबर 907 से 915 कुल खसरे 25 कुल क्षैत्रफल 13. 5500 हेक्टेयर आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी मे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2046—2049 अनुसार खातेदार लखमा ,उका पिसरान वीरा 1/8 हक हिस्सा का इन्द्राज है तथा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सवत 2042—2045 मे खातेदार लखमा ,उका पिसरान पीथा 1/8 हक हिस्सा का इन्द्राज किया हुआ है जो राजस्व कर्मचारियों की भूल एवं लापरवाही से प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के दादा व प्रार्थीगण संख्या 5 के ससुर व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता कष नाम उपरोक्त वर्णित आराजी मे लखमा ,उका पिसरान पीथा के स्थान पर गलत नाम लखमा ,उका पिसरान वीरा का इन्द्राज कर दिया है। उपरोक्त वर्णित आराजी पुश्तैनी है। जिसमे खातेदार लखमा पुत्र पीथाजी की मृत्यु दिनांक 2—7—2008 को हो चुकी है। प्रार्थीगण खातेदार लखमा पुत्र पीथाजी के वारिसदार है उपरोक्त वर्णित आराजी मे खातेदार लखमा व उका के पिता का नाम पीथा के स्थान पर वीरा का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे संवत 2046—2049 की जमाबंदी से लगाकर राजस्व कर्मचारियां की भूल व त्रुटिवश दर्ज हुआ है। जबकि संवत 2046 से पूर्व राजस्व रेकर्ड मे सही इन्द्राज किया हुआ है एवं अन्य खातेदारी के खाता संख्या नया 422 ,423 ,424 ,108 मे खातेदार लखमा ,उका पिसरान पीथा का जमाबंदीयों मे सही इन्द्राज किया हुआ है एवं अन्य दस्तावेजों मे भी लखमा व उका के पिता का नाम पीथा दर्ज है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल से राजस्व रेकर्ड संवत 2046 के बाद से लखमा ,उका पिसरान पीथा के स्थान पर लखमा ,उका पिसरान वीरा का गलत इन्द्राज कर देने से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 को अकारण परेशानी का सामना करना पडा है। उक्त त्रुटि को सुधारने हेतु कई बार प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को एवं हल्का पटवारी को निवेदन किये गये लेकिन मात्र आश्वासन दिया गया तथा आज दिन तक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व रेकर्ड उपरोक्त वर्णित आराजी मे खातेदार लखमा व उका के पिता के नाम की त्रुटि को सुधारकर सही इन्द्राज वीरा के स्थान पर पीथा नही करने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मौजा आमलारी नगर पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा तहसील व जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि मय कुंआ वर्णितानुसार है उसमे खातेदार लखमा व उका के पिता का नाम गलत इन्द्राज वीरा के स्थान पर पीथा के दर्ज करने हेतु अप्रार्थी को निर्देश दिलाना फरमावें ।

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 10—2—2020 को अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) ने जवाब पेश कर कथन किया कि जमाबंदी संवत 2073 से 2076 मे खाता संख्या 406 मे लखमा ,उका पि. वीर 1/8 हि. वगैरहा दर्ज है। जबकि जमाबंदी संवत 2042 से 2045 मे लखमा ,उका पि. पीथा 1/8 हि. दर्ज है जो खाता संख्या 302 है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज हुआ है। सबूत के रूप मे नई एवं पुरानी प्रमाणित जमाबंदी नकले संलग्न है। अतः वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 406 मे लखमा ,उका पि. वीरा के स्थान पर लखमा ,उका पि. पीथा के नाम की दुरूस्ती करना उचित बताया है। । इस न्यायालय मे दिनांक 10—2—2020 को विचारण प्रार्थनापत्र पर वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई।

हमने विचारण प्रकरण मे प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात प्रतियों व जवाब तहसीलदार,सिरोही का गहनतापूवक अवलोकन कर उस पर मनन किया तथा वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि जमाबंदी संवत 2073 से 2076 मे खाता संख्या 406 मे लखमा ,उका पि. वीर 1/8 हि. वगैरहा दर्ज है। जबकि जमाबंदी संवत 2042 से 2045 मे लखमा ,उका पि. पीथा 1/8 हि. दर्ज है जो खाता संख्या 302 है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज हुआ है। सबूत के रूप मे नई एवं पुरानी प्रमाणित जमाबंदी नकले संलग्न है। अतः वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 406 मे लखमा ,उका पि. वीरा के स्थान पर लखमा ,उका पि. पीथा के नाम की दुरूस्ती करना उचित है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी के नाम की राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित से आवश्यक है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरोही (भूमिधारी अधिकारी) को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के सहखातेदारान के साथ संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि मय कुंआ मौजा आमलारी पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा तहसील व जिला सिरोही मे आई हुई है। जिसकी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत

लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page No2

2073 से 2076 के अनुसार खाता संख्या नया 406 पुराना 395 खसरा नंबर 881 से 889 व खसरा नंबर 899 से 905 तथा खसरा नंबर 907 से 915 कुल खसरे 25 कुल क्षैत्रफल 13.5500 हेक्टेयर की वर्तमान जमाबंदी मे खातेदार लखमा व उका के पिता का नाम गलत इन्द्राज वीरा के स्थान पर पीथा दर्ज कर जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें । आदेश सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 17–2–2020 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम,व न्यायालय की गोल मुहार से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2020.02.21 14:47:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: